न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आज्ञा–पत्र

उनवान .... बादाम बाई .... बनाम .... धन्नी बाई ....

किस्म मुकदमा .... 223 .... अपील संख्या .... 2025/193 ....

अभिभाषक अपीलान्ट .... श्री वन्दना नागर .... अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
24.2.26	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। पत्रावली में रेस्पोडेंटगण को नोटिस/सम्मन जरिये रजिस्टर्ड ए०डी० अभि. अपीलांट द्वारा आदिनांक तक पेश नहीं किये गये है। पत्रावली के अवलोकन से न्यायालय का समय भी जाया हो चुका है। अतः न्यायहित में अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली वास्ते नोटिस रेस्पोडेंट हेतु दिनांक 10.3.26 को पेश हो। (दीप्ति मीना) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा	
10.3.26	पत्रावली पेश हुई। अपीलांटगण एवं उनके अभिभाषक को रुक-रुक कर तीन-तीन बार आवाजें लगवायी गयी, फिर भी उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली रेस्पोडेंटगण की तामील हेतु लंबित है। अतः पत्रावली अदम हाजरी एवं अदम पैरवी मे खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। (दीप्ति मीना) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा	भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

अपील नं0 ..../2025

1– बादाम बाई पत्नी स्व0 रमेश चन्द जी जाति धाकड निवासी सुनेल तहसील सुनेल जिला झालावाड

2– राम विलास पुत्र स्व0 रमेश चन्द जी जाति धाकड निवासी सुनेल तहसील सुनेल जिला झालावाड

3– अखिलेश पुत्र स्व0 रमेश चन्द जी जाति धाकड निवासी सुनेल तहसील सुनेल जिला झालावाड

– अपीलान्टान

:: बनाम ::

1– धन्नी बाई पुत्री नारायण पत्नी धन्नालाल जाति धाकड निवासी सुनेल जिला झालावाड

2– भंवरलाल पुत्र भेरूलाल जाति धाकड निवासी सुनेल जिला झालावाड

3– रामचन्दर पुत्र भेरूलाल जाति धाकड निवासी सुनेल जिला झालावाड

4– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुनेल जिला झालावाड

– रेस्पोडेन्टान

अपील बनाराजगी निर्णय व डिक्री दिनांक 05–08–2025 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड बमुकदमें बादाम बाई व अन्य –बनाम– धन्नी बाई व अन्य मिसल दावा नं0 50/19 ,दावा धारा 88–188–91–92ए–53–209 आर0टी0ए0

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

मान्यवर,

अपीलान्टान निम्न निवेदन करते है :–

संक्षेप में अपील से सम्बन्धित तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्टान ने एक वाद उपरोक्त धाराओं में वाद सं0 50/19 अधीनस्थ न्यायालय में उक्त शीर्षक का पेश किया था जिसमें कथन किया गया कि ग्राम सुनेल तहसील सुनेल में प्रतिवादी नं0 1–2–3 के शामलाती खाते में ख0न0 1641, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800 व 1801 की 6 बीघा 15 बिस्वा दर्ज चली आ रही थी। खातेदारान के मध्य आपसी पारिवारिक विभाजन होकर ख0न0 1798 व 1800 की 3 बीघा भूमि प्रतिवादी नं0 1 व प्रभुलाल के हिस्से में आयी तथा ख0न0 1795 चाह की 4 बिस्वा भूमि शामलाती रही। प्रतिवादी नं0 1 व प्रभुलाल ने अपने हिस्से में आयी भूमि व शामलाती 1/2 हिस्से की ख0न0 1795 की भूमि को अपीलान्टान वादीगण के पिता को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 1–6–1983 को बेचान करदी। जिसका नामान्तरकरण सं0 944 खुला किन्तु उसे बाद में दिनांक 23–7–84 को भूमि शामलाती में होने के कारण निरस्त कर दिया।